न्यायालय आमेर हु० जयपुर

फर्द अहकाम

केसरी बनाम धौला

19/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23/5/25	पत्रावली प्रस्तुत वकील वादी उपस्थित। तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में साबित होने के बाद डिक्री किया जाता है तदनुसार तरमीमवार जालसू वादीगण की खातेदारी भूमि हाल ख० नं. 462 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम पुनाना तहसील जालसू में स्थित भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर बारानी तृतीय दुरुस्त ~~किया~~ करे तथा प्रतिवादी-1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि ख०न 463 लगायत 466 के दक्षिणी सीवं मे से 0.20 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व वर्तमान नक्शे में अंकित करे। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर हु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –19/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –05.03.2024

1. केसरी देवी पत्नी कालूराम जाति जाट, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. गीता देवी पत्नी रामेश्वर जाति जाट, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. विमला देवी पत्नी गोपाललाल जाति जाट, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––– वादीगण

बनाम

1. घीसालाल पुत्र नाथू जाति बागडा, ब्राहम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामचंद्र पुत्र मुन्ना जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. रामनिवास पुत्र झूंथाराम जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. जगदीश पुत्र सोना जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. मंगला पुत्र सोना जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. गोपाल पुत्र सोना जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू, जिला जयपुर।

––– प्रतिवादीगण

<u>दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति :–

श्री भगवान सहाय शर्मा – अधिवक्ता वादीगण की ओर से

निर्णय **दिनांक 23.05.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:14 IST
Reason: SelfAttested

वा[illegible] प्रस्तुत हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि साबिक खसरा नम्बर 434 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार जुवाना पुत्र जोधा जाति जाट निवासी पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर दर्ज थे। दौराने भू प्रबन्ध उक्त वर्णित भूमि के हाल खसरा नम्बर 456 रकबा 0.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 457 रकबा 2.88 हैक्टयर, खसरा नम्बर 458 रकबा 1.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 3.76 हैक्टयर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टयर, बने है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 434 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा मे से रकबा 25 बीघा बारानी तृतीय व 12 बीघा 06 बिस्वा बंजड

किस्म अंकित थी। दौराने भू प्रबन्ध साबिक खसरा नम्बर 434 में से बने हाल खसरा नम्बरान् मे से खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टयर गै. मु.रास्ता राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी व नक्शे मे रास्ता अंकित कर दिया गया है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके व साबिका राजस्व रिकोर्ड के विपरीत की गई क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही है, उक्त खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टयर की किस्म गै. मु. रास्ता अंकित की हैं, जो कि विवादित है, जिसे वादपत्र भूमि विवादग्रस्त बताया गया है। साबिका खसरा नम्बर 434 के खातेदार काश्तकार जुवाना पुत्र जोधा के स्वर्गवास पर रामदेव पुत्र जुवाना के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित हुई, रामदेव पुत्र जुवाना ने खसरा नम्बर 434 रकबा 37 बीघा में से रकबा 16 बीघा भूमि का बेचान धन्ना पुत्र ईसर को किया। तत्पश्चात् धन्ना पुत्र ईसर से वादीगण ने भूमि क्रय की। इस प्रकार वादीगण साबिका खसरा नम्बर 434 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा भूमि मे से रकबा 16 बीघा भूमि हाल खसरा नम्बर 460 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 3.76 हैक्टयर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 4.09 हैक्टयर पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 462 कभी भी रास्ते के उपयोग उपभोग मे नही रही है। वर्तमान भू–प्रबंध मे भू प्रबन्ध विभाग ने नये खसरा नम्बर कायम करते समय खसरा नम्बर 461 के उत्तरी सींव की तरफ खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टयर को गै.मु.रास्ता अंकित कर दिया, जबकि खसरा नम्बर 462 कभी भी रास्ते के उपयोग उपभोग मे नही रहा है, बल्कि मौके पर रास्ता आराजी खसरा नम्बर 463 लगायत 466 की दक्षिण सींव मे से होकर है, जो कि वर्तमान मे भी मौके पर चालू है, जो पूनाना से गुढामान को जाने वाले रास्ते में से पूर्व से पश्चिम की ओर ढाणी को जाता है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट मौके के विपरीत जाकर वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 462 को गैर मु. रास्ता अंकित किया है, जो विधि विरूद्ध है। भू–प्रबंध विभाग को वादीगण की खातेदारी की विवादित भूमि की किस्म मौके व वास्तविकता के विपरीत जाकर परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। उक्त भू–प्रबंध विभाग द्वारा किया गया कार्य क्षेत्राधिकार के विपरीत किया गया है वादीगण वादग्रस्त भूमि की किस्म साबिक के अनुसार बारानी तृतीय राजस्व भू अभिलेख जमाबन्दी अनुसार दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टयर के नक्शे में अंकित रास्ते की लाईन हटाकर साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादपत्र के मद संख्या 3 मे वर्णित वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 462 के उत्तरी सींव स्थित खसरा नम्बर 463 रकबा 1.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.98 हैक्टयर, के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2, खसरा नम्बर 465 रकबा 1.06 हैक्टयर के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 3 व 3, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.79 हैक्टयर के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 है। इस कारण से खसरा नम्बर 463 लगायत 466 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को पक्षकार संयोजित किया गया हैं। खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकीन रास्ता भू–प्रबंध विभाग द्वारा मौके एवं अपने मे निहित क्षेत्राधिकार के विपरीत जाकर अंकित की है, यही वाद का वादकारण है। प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड खसरा नम्बर 462 रकबा 0. 20 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकीन रास्ता अंकित होने के आधार पर मौके के विपरीत जाकर नया रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:14 IST
Reason: Self Attested

सहायक क... आमेर म. जयपुर

निकालने आमादा है। यदि प्रतिवादीगण उक्त विधि विरूद्ध कार्य करने में सफल हो जाते हैं तब वादीगण के वैधानिक अधिकारों पर कुठारघात होगा तथा वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग से महरूम हो जायेंगे, वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी, इसलिए वादीगण प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने के अधिकारी है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 6 तीन महीने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वाद पत्र अनुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया खसरा नंबर 462 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित भूमि की किस्म् गै. मु. रास्ता के स्थान पर बारानी तृतीय दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित खसरा नंबर 463 लगायत 466 के दक्षिणी सींव से 0.20 हैक्टेयर रास्ता राजस्व जमाबंदी वर्तमान नक्शे में अंकित किया जाकर घोषणा की जावे ?

———वादी

2. आया दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही खसरा नंबर 434 में से बने हाल खसरा नंबर में से खसरा नंबर 462 रकबा 0.20 हैक्टेयर में गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शे में बिना क्षेत्राधिकार में अंकित कर दिया जो कि अवैध है ?

———वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ?

———वादी

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीगण पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू. 1 केसरी देवी पत्नी कालूराम जाति जाट, निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर, जिला जयपुर। 2. हरफूल पुत्र जगमाल जाति जाट, निवासी जगमाल डोगियाल की ढाणी, पूनाना, तहसील जालसू, जिला जयपुर, पी.डब्ल्यू 2 लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

अभिलेख साक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रमाणित प्रति खसरा नंबर 43, प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2016 खसरा नंबर 434, प्रदर्श [illegible] मिलान क्षेत्रफल–प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त सन् 01.07.1989 से 30.06.1989 खसरा नंबर 462 ग्राम पूनाना प्रदर्श–4, प्रमाणित प्रति नक्शा सन् 1952, प्रदर्श–5, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रैस ग्राम पूनाना, प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 23 ग्राम पूनाना प्रदर्श–7, जमाबंदी 2073 से 2076 खाता संख्या 2 ग्राम पूनाना, प्रदर्श–8, 2073 से 2076 जमाबंदी संवत खाता संख्या 215 व 78 प्रदर्श–10 व प्रदर्श–11 दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर शाहपुरा, जयपुर

प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस के मध्यनजर तनकीयात निम्नानुसार निर्णित की जाती है

1. आया खसरा नंबर 462 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता के स्थान पर बारानी तृतीय दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित खसरा नंबर 463 लगायत 466 के दक्षिणी सींव से 0.20 हैक्टेयर रास्ता राजस्व जमाबंदी वर्तमान नक्शे में अंकित किया जाकर घोषणा की जावे ?

———वादी

2. आया दौराने भू—प्रबंध कार्यवाही खसरा नंबर 434 में से बने हाल खसरा नंबर में से खसरा नंबर 462 रकबा 0.20 हैक्टेयर में गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शे में बिना क्षेत्राधिकार में अंकित कर दिया जो कि अवैध है ?

———वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ?

———वादी

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 लगायत 3 एकसाथ निर्णित की जा रही है। भू—प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट मौके के विपरीत जाकर वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 462 को गैर मु. रास्ता अंकित किया है,जोकि प्रदर्श 4, 5 से साबित है। जाके विधि विरूद्ध है। जिसके समर्थन मे वादी ने खसरा नंबर 43, प्रदर्श—1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2016 खसरा नंबर 434, प्रदर्श—2, मिलान क्षेत्रफल—प्रदर्श—3, प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त सन् 01.07.1989 से 30.06.1989 खसरा नंबर 462 ग्राम पूनाना प्रदर्श—4, प्रमाणित प्रति नक्शा सन् 1952, प्रदर्श—5, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रैस ग्राम पूनाना, प्रदर्श—6, जमाबंदी संवत 2073—2076 खाता संख्या 23 ग्राम पूनाना प्रदर्श—7, जमाबंदी 2073 से 2076 खाता संख्या 2 ग्राम पूनाना, प्रदर्श—8, 2073 से 2076 जमाबंदी संवत खाता संख्या 215 व 78 प्रदर्श—10 व प्रदर्श—11 दस्तावेजात् प्रदिर्शित करवाये है। भू—प्रबंध विभाग को वादीगण की खातेदारी की विवादित भूमि की किस्म मौके व वास्तविकता के विपरीत जाकर परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राज में तब्दीली करने का कोई अधिकार नही है। ... 2009—10 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 143 रामरतन बनाम भगवान सहाय व अन्य में अभि...रित ...या है कि "सेटलमेंट डिपार्टमेंट हैव नो जूरिडिक्शन तो चेंज द ... नहीं"। उक्त ...बंध विभाग द्वारा किया गया कार्य क्षेत्राधिकार के विपरीत किया गया है। वादीगण विवादित भूमि की किस्म साबिक के अनुसार बारानी तृतीय राजस्व भू अभिलेख जमाबन्दी अ...र दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टयर के नक्शे में अंकित रास्ते की लाईन हटाकर साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये 2015 (2) आर. आर. टी. (2),1998 आर. बी. जे. 274,1998 (5) आर. बी. जे. 290,1998 (5) आर.बी. जे 610,2001 (8) आर. बी. जे 170,2001 (8) आर. आर. टी. 244,2003 (10) आर. बी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 19/2024
बउनवानी – केसर देवी बनाम घीसालाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.05.2025

जे. 118,2008 (1) आर. आर. टी.। जिससे हम पूर्णतः सहमत है। फलस्वरूप तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय

तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में साबित होने से वाद वादी डिक्री किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार जालसू को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनाना तहसील जालसू जयपुर में स्थित भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता के स्थान पर बारानी तृतीय दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम पूनाना तहसील जालसू के खसरा नम्बर 463 लगायत 466 के दक्षिणी सींव में से 0.20 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

वाद प्रस्तुति दिनांक —05.03.2024

नियमित वाद संख्या —19 / 2024

1. केसरी देवी पत्नी कालूराम जाति जाट, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. गीता देवी पत्नी रामेश्वर जाति जाट, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. विमला देवी पत्नी गोपाललाल जाति जाट, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——— वादीगण

बनाम

1. घीसालाल पुत्र नाथू जाति बागडा, ब्राहम्ण निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामचंद्र पुत्र मुन्ना जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. रामनिवास पुत्र झूंथाराम जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. जगदीश पुत्र सोना जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. मंगला पुत्र सोना जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. गोपाल पुत्र सोना जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पूनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू, जिला जयपुर।

——— प्रतिवादीगण

<u>दावा उद्घोषणा, इंद्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में साबित होने से वाद वादी डिक्री किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार जालसू को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण को खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर 462 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनाना तहसील जालसू जयपुर में स्थित भूमि की किस्म गै. मु. रास्ता के स्थान पर बारानी तृतीय दुरुस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम पूनाना तहसील जालसू के खसरा नम्बर 463 लगायत 466 के दक्षिणी सींव में से 0.20 हैक्टेयर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 23.05.2025 को जारी किया।

दस्तखत———

ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

[illegible]

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:14 IST
Reason: SelfAttested